

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 319]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 2, 2015/अग्रहायण 11, 1937

No. 319]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 2, 2015/ AGRAHAYANA 11, 1937

**उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय**

(खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2015

सं. 20(43)/2015- एस.पी.1- केन्द्रीय सरकार चीनी मौसम 2015-16 के लिए चीनी मिलों को गन्ने की लागत की क्षतिपूर्ति और किसानों को गन्ना मूल्य देयों का समय पर भुगतान सरल बनाने के लिए एतद्वारा चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी प्रदान करने की स्कीम को निम्न प्रकार से अधिसूचित करती है:-

**1. सब्सिडी का उद्देश्य :**

इस उत्पादन सब्सिडी का उपयोग चालू चीनी मौसम 2015-16 के गन्ना मूल्य देयों से संबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की उस चीनी मौसम के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी कीमत (एफआरपी) और पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का भुगतान करने के लिए किया जाएगा।

**2. सब्सिडी देने की विधि और सीमा :**

- i. चीनी उत्पादन के लिए पेराई किए गए गन्ने पर चीनी मिलों द्वारा गन्ने की खरीद पर आई लागत की भरपाई करने के लिए 4.50 रू प्रति क्विंटल की दर से उत्पादन सब्सिडी प्रदान की जाएगी। चीनी मिलें 2015-16 के दौरान वास्तविक गन्ना पेराई के अनुरूप या गन्ना पेराई का समानुपातिक परस्पर 255 मिलियन मी.टन आबंटन के अनुमान (चीनी मौसम 2015-16 के लिए) से उनके पिछले चीनी मौसमों के औसत चीनी उत्पादन के आधार पर, इसमें जो भी कम हो, उत्पादन सब्सिडी पाने के हकदार होंगी। ऐसी चीनी मिल जिसने चीनी मौसम 2015-16 में पहली बार गन्ना पेराई का कार्य आरंभ किया है, वास्तविक गन्ने की पेराई के आधार पर उत्पादन सब्सिडी के लिए हकदार होगी।

- ii. इस सब्सिडी को मिलों की ओर से किसानों को सीधे भुगतान किया जाएगा और पिछले वर्षों के बकायों सहित एफआरपी के रूप में किसानों को गन्ना मूल्य देयों के भुगतान हेतु समायोजित किया जाएगा। इसके बाद बची हुई धनराशि, यदि कोई हो, मिल के खाते में जमा की जाएगी, पिछले वर्षों की गन्ना बकाया देयों के निराकरण को प्राथमिकता दी जाएगी।
- iii. वे मिलें, जिन्होंने दिनांक 18.09.2015 को अधिसूचित न्यूनतम निर्देशात्मक निर्यात कोटा (एमआईईक्यू) स्कीम के अंतर्गत शर्तों के अनुसार कम से कम 80% लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया हो तथा वे मिलें, जिनके पास एथनाल उत्पादन करने के लिए डिस्टिलेशन की क्षमताएं हैं, ईबीपी के अंतर्गत दिनांक 16.09.2015 को विभाग द्वारा अधिसूचित 80% लक्ष्य प्राप्त कर लिए हों, उपर्युक्त उत्पादन सब्सिडी पाने के लिए पात्र होंगी।
- iv. चीनी मिलों को उत्पादन सब्सिडी का दावा अधिसूचना के साथ संलग्न निर्धारित प्रपत्र-'क' में उपर्युक्त पैरा 2 (iii) में संदर्भित मानदण्ड के अनुसार पात्रता पूरी करने के उपरांत प्रस्तुत करना होगा।
- v. उत्पादन सब्सिडी को सीधे किसानों के खाते में जमा करने को सुनिश्चित किए जाने के क्रम में, चीनी मिलों को अलग से नो-लियन बैंक खाता खोलना होगा और अपने बैंकों को बैंक खाता विवरणों के साथ किसानों की सूची और चालू चीनी मौसम के लिए उचित और लाभकारी कीमत (एफआरपी) के आधार पर संगणित गन्ना देयों के लिए जाने वाले भुगतान की सीमा तथा पिछले चीनी मौसमों के गन्ना मूल्य बकाया का विवरण प्रस्तुत करना होगा।
- vi. बैंक खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी) द्वारा जारी धनराशि को मिलों की ओर से सीधे किसानों के खातों में जमा करेंगे। इसके बाद शेष यदि कोई हो, तो मिल के खाते में जमा किया जाएगा। यदि चीनी मिल के ऊपर कोई गन्ना बकाया देय नहीं है तो सब्सिडी की पूरी राशि मिल के खाते में जमा की जाएगी।
- vii. वित्तीय सेवाएं विभाग (डीएफएस) बैंकों को यथोचित अनुदेश जारी करेगा।
- viii. उत्पादन सब्सिडी पर होने वाले खर्च को शर्करा विकास निधि (एसडीएफ) से पूरा किया जाएगा।

**3. उपयोगिता प्रमाण-पत्र :—**संबंधित चीनी मिल को उत्पादन सब्सिडी जारी होने की तारीख से तीन महीने के अंदर यह प्रमाणित करते हुए कि उत्पादन सब्सिडी का उपयोग इस स्कीम में विनिर्दिष्ट उद्देश्य के लिए कर दिया गया है, इससे संबंधित शर्करा/गन्ना आयुक्त से इस आशय का विधिवत रूप से प्रतिहस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा। पिछली किस्तों का नियत समय में उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहने पर मिल को सब्सिडी की अगली किस्तों का लाभ उठाने के लिए वंचित किया जाएगा और पहले जारी की गई राशियों की वसूली के लिए कार्रवाई आरंभ की जाएगी।

**4.** डीएफपीडी घरेलू और वैश्विक बाजार दोनों में चीनी की कीमतों को नजदीकी से मानिटर करेगा। यदि कीमतों का निर्धारण अधिकांशतः उद्योग की कार्यात्मक व्यावहारिकता के लिए आवश्यक स्तर से ऊंचा होता है तो इस स्कीम में संशोधन किया जा सकता है या इसे वापस लिया जा सकता है।

**5.** जबकि केन्द्रीय सरकार का विचार है कि यह आवश्यक है या ऐसा करना व्यावहारिक हो, तो आदेश द्वारा और उन कारणों को लिखित में रिकार्ड करते हुए इस स्कीम के किसी भी प्रावधान में ढील दी जा सकेगी।

### प्रपत्र - क

उत्पादन सब्सिडी का दावा प्रस्तुत करने के लिए आवेदन फार्म  
(चीनी मिलों द्वारा प्रस्तुत किया जाना है)

1. चीनी मिलों का विवरण :

(क) नाम:

(ख) प्लान्ट कोड और संक्षिप्त नाम :

(ग) पूरा पता :

(घ) दूरभाष संख्या, फैक्स संख्या और ई-मेल :

2. मिलों द्वारा गन्ना पेराई का विवरण :
- (क) गन्ना पेराई आरंभ करने की तिथि :
- (ख) ..... को गन्ना पेराई की मात्रा : ..... (मी. टन में)
- (ग) ..... को उत्पादित चीनी की मात्रा : ..... (मी. टन में)
- (घ) उत्पादन सब्सिडी की दर :
- (ङ) दावा की गई कुल सब्सिडी की राशि (ख\*घ)
3. एथनाल आपूर्ति और चीनी निर्यात के संबंध में मिलों द्वारा प्राप्त किए गए प्रदर्शन का विवरण :
- (क) एथनाल की मात्रा यदि मिल को आबंटित हो (किलो ली. में)
- (ख) एथनाल की प्रस्तावित मात्रा (किलो ली. में)
- (ग) आपूर्ति की गई एथनाल की मात्रा (किलो ली. में)
- (घ) निर्यात के लिए एमआईईक्यू की मात्रा (मी.टन में)
- (ङ) निर्यात की गई चीनी की मात्रा (मी.टन में)
4. सब्सिडी का भुगतान करने के लिए आरटीजीएस कोड इत्यादि सहित अलग बैंक खाता (नो-लियन खाता) का विवरण (बैंक मैडेड फार्म की एक प्रति संलग्न की जाए)
5. संलग्न किए जाने वाले कागजातों का विवरण:
- (क) चीनी मिल द्वारा गन्ना पेराई की मात्रा इंगित करते हुए संबंधित गन्ना आयुक्त/शर्करा निदेशक से प्राप्त प्रमाण पत्र
- (ख) संबंधित तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा विधिवत रूप से प्रमाणित अनुबंध-1 के अनुसार चालू चीनी मौसम 2015-16 के दौरान एथनाल की आपूर्ति करने से संबंधित जानकारी।
- (ग) पात्रता का निर्धारण करने के लिए पैरा 2(iii) में संदर्भित के अनुसार दस्तावेज।
6. अनुबंध-II के अनुसार निर्धारित प्रोफार्मा में पूर्व-रसीदी बिल
- स्थान : (चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)
- दिनांक : (कृपया हस्ताक्षरी का नाम और पदनाम लिखें और उसकी मोहर लगाएं)

**अनुबंध-I**

**चीनी मौसम 2015-16 के दौरान ईबीपी के तहत तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को एथनाल की आपूर्ति के आंकड़ें दर्शाने वाला विवरण**

चीनी मिल का नाम	राज्य	आबंटित एथनाल की मात्रा (किलो ली. में)	तेल विपणन कंपनियों द्वारा जारी की गई ईओआई की तिथियां और मात्रा	कालम (iv) में संदर्भित ईओआई के प्रति ओएमसी का आपूर्ति के लिए प्रस्ताव की गई एथनाल की मात्रा	ओएमसी को आपूर्ति की गई एथनाल की मात्रा	टिप्पणी
i.	ii.	iii.	iv.	v.	vi.	vii.

स्थान : (चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)  
दिनांक : (कृपया हस्ताक्षरी का नाम और पदनाम लिखें और उसकी मोहर लगाएं)  
स्थान : (ओएमसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)  
दिनांक : (कृपया हस्ताक्षरी का नाम और पदनाम लिखें और उसकी मोहर लगाएं)

### अनुबंध-II

उत्पादन सब्सिडी के भुगतान के लिए पूर्व रसीदी बिल  
(दो प्रतियों में प्रस्तुत किया जाए)

फैक्ट्री का नाम एवं पता:-

खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग से ..... रू ( ..... रूपए  
केवल ) की राशि प्राप्त की।

### घोषणा:-

1. मैं एतद्द्वारा विधिवतरूप से यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दी गई जानकारी सही है और इससे कोई भी संबंधित जानकारी छिपाई नहीं गई है।
2. मैं एतद्द्वारा यह घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त दावा ..... से ..... तक की अवधि के दौरान गन्ना पेराई की उत्पादन सब्सिडी का पूर्ण और अंतिम निराकरण है।
3. मैं एतद्द्वारा यह प्रमाणित करता हूं कि चीनी मिल ने भारत सरकार से इस दावा को प्रस्तुत करने से पहले क्र. सं. 2 पर उल्लेख की गई अवधि के दौरान गन्ना पेराई की मात्रा के लिए उत्पादन सब्सिडी राशि प्राप्त नहीं की गई है।
4. मैं एतद्द्वारा यह वचन देता हूं कि उपर्युक्त दावे में दी गई कोई भी जानकारी किसी भी समय पर सही नहीं पाई गई और यदि इस अधिसूचना के प्रावधानों का पालन न किया गया तो मैं जो भी आवश्यक हो, दावे की इस राशि को ब्याज सहित केन्द्रीय सरकार को वापस करूंगा।
5. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं पूर्वोक्त घोषणा करने के लिए और उपर्युक्त चीनी मिल के मालिक या हिस्सेदार या कम्पनी या किरायेदार या स्वामी की ओर से इन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए सक्षम हूं।

स्थान : (चीनी मिल के प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर)  
दिनांक : (कृपया हस्ताक्षरी का नाम और पदनाम लिखें और उसकी मोहर लगाएं)

[फा. सं. 20(43)/2015-एस.पी. I]

प्रशांत त्रिवेदी, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2015

**No. 20(43)/2015-S.P.-I.**—The Central Government, with a view to offset the cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers for sugar season 2015-16, hereby notifies the scheme for extending production subsidy to sugar mills as under:

#### 1. Purpose of subsidy:

The production subsidy is to be used for payment of cane price dues of the current sugar season 2015-16 relating to the Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane fixed by the Central Government for that sugar season and cane price arrears of previous sugar seasons.

**2. Modalities and Extent of subsidy:**

- i. A production subsidy @ of Rs. 4.50 per quintal of cane crushed for the production of sugar shall be provided to offset the cost of cane purchased by the sugar mills. The sugar mills shall be entitled for the production subsidy as per actual cane crushed during 2015-16 sugar season or the proportionate inter-se allocation of estimated 255 million MT of cane crushed (for sugar season 2015-16) on the basis of their average sugar production of last three sugar seasons, whichever is lower. A new sugar mill which has commenced cane crushing for the first time in 2015-16 sugar season, shall be entitled for production subsidy on the basis of actual cane crushed.
- ii. The said subsidy shall be paid directly to the farmers on behalf of the mills and be adjusted against the cane price payable due to the farmers against FRP including arrears relating to previous years. Subsequent balance, if any, shall be credited into the mill's account. Priority will be given to settling cane arrears due of the previous years.
- iii. Those mills which have achieved at least 80% of the targets as per terms and conditions under the Minimum Indicative Export Quota (MIEQ) scheme notified on 18.09.2015 and in case of mills having distillation capacities to produce ethanol have achieved 80% of the targets notified on 16.09.2015 by the Department under the EBP shall be eligible for the above production subsidy.
- iv. Sugar mills shall submit the production subsidy claim in the prescribed Proforma – 'A' annexed with the notification after fulfilling the eligibility criteria as referred in Para 2 (iii) above.
- v. In order to ensure that production subsidy is directly credited in to the accounts of farmers, the sugar mills shall open a separate no-lien bank account and furnish to its bankers the list of farmers along with bank account details and the extent of cane dues to be paid computed on the basis of Fair and Remunerative Price (FRP) for the current sugar season and cane price arrears of previous sugar seasons.
- vi. The banks shall directly remit the funds released by Department of Food and Public Distribution (DFPD) into the accounts of farmers on behalf of the sugar mill. Subsequent balance, if any, shall be credited into the mill's account. If a sugar mill does not have any cane price arrear due, the entire subsidy amount will be credited into the mill's account.
- vii. The Department of Financial Services (DFS) shall issue suitable instructions to the banks.
- viii. The expenditure on production subsidy would be met from Sugar Development Fund (SDF).

**3. Utilization certificate:** The sugar mill concerned shall submit utilization certificate duly counter-signed by the respective sugar/cane commissioner within three months from the date of release of production subsidy certifying that the production subsidy has been utilized for the purpose specified in this scheme. Any failure to submit the utilization certificate of earlier instalment within stipulated time would debar the mill from availing subsequent instalment of subsidy and action would be initiated for recovery of amounts already released.

**4.** The DFPD shall closely monitor the prices of sugar, both in domestic as well as global markets on monthly basis. In case prices are assessed to be substantially higher than levels required for operational viability of the industry, the scheme may be amended or withdrawn.

**5.** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of this scheme.

**Proforma – A****APPLICATION FORM FOR SUBMISSION OF PRODUCTION SUBSIDY CLAIM**

(To be furnished by sugar mills)

1. Details of sugar mills :
  - (a) Name :
  - (b) Plant code and short name :
  - (c) Complete address :
  - (d) Telephone(s) number, Fax number and email :

2. Details of Cane crushed by the mill :
  - (a) Date of start of cane crushing :
  - (b) Quantity of cane crushed as on.....( in MT):
  - (c) Quantity of sugar produced as on.....( in MT) :
  - (d) Rate of production subsidy :
  - (e) Total subsidy amount claimed (b\*d) :
3. Details of performance achieved by mills in respect of ethanol supply and sugar export:
  - (a) Quantity of ethanol if allocated to the mill (in Kilo ltrs) :
  - (b) Quantity of ethanol offered (in Kilo ltrs) :
  - (c) Quantity of ethanol supplied (in Kilo ltrs) :
  - (d) Quantity of MIEQ for export (in MT) :
  - (e) Quantity of sugar exported (in MT) :
4. Details of separate bank account (no lien account) including RTGS code etc. for making payment of subsidy (a copy of bank mandate form to be enclosed).
5. Details of documents to be enclosed :
  - (a) Certificate from Cane Commissioner/ Director of Sugar concerned indicating the quantity of sugarcane crushed by the sugar mill .
  - (b) Information relating to supply of ethanol during current sugar season 2015-16 as per Annexure – I duly certified by Oil Marketing Companies (OMCs) concerned.
  - (c) Documents as referred in Para 2(iii) above to assess eligibility.
6. Pre-receipted bills in the prescribed Proforma as at Annexure-II.

Place: (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date: (Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

#### Annexure – I

#### Statement showing data on Supply of Ethanol to Oil Marketing Companies (OMCs) under EBP during 2015-16 Sugar Season

Name of the sugar mill	State	Quantity of ethanol allocated (in KLtrs)	Date(s) and quantity of EOI floated by OMCs	Quantity of ethanol offered for supply to OMCs against EOI referred in column (iv)	Quantity of ethanol supplied to OMCs	Remarks
(i)	(ii)	(iii)	(iv)	(v)	(vi)	(vii)

Place: (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date: (Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

Place: (Signature of authorized signatory of the OMC)

Date: (Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

**Annexure – II**

Pre-receipted bill for payment of production subsidy

(To be furnished in duplicate)

Name and address of the factory: —

Received a sum of Rs. \_\_\_\_\_ (Rs. \_\_\_\_\_ only)  
from the Department of Food and Public Distribution.**DECLARATION:**

1. I hereby solemnly affirm and declare that the information furnished above is correct and no relevant information has been concealed thereof.
2. I hereby declare that the above claim is in full and final settlement against the production subsidy of cane crushed during the period from .....to.....
3. I hereby certify that sugar mill did not receive production subsidy amount from the Government of India for the quantity of cane crushed during the period mentioned at serial number 2 above prior to the submission of the this claim.
4. I hereby undertake to refund to the Central Government such amount of claim received by me along with interest, as may be required if any information given in the claim above is found to be incorrect at any time and if the provisions of this notification are not adhered to.
5. I also declare that I am competent to make the foregoing declaration and sign these documents on behalf of the proprietor or partner or company or occupier or owner of the above sugar mill.

Place: \_\_\_\_\_ (Signature of authorized signatory of the sugar mill)

Date: \_\_\_\_\_ (Please indicate the name and designation of the signatory and affix the seal)

[F. No. 20 (43)/2015-S.P.-I]

PRASHANT TRIVEDI, Jt. Secy.